



2026:AHC:23831

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1586, वर्ष 2026

ओम प्रकाश सिंह एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता

: दिनेश कुमार, निर्भय सिंह

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मानवेंद्र सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार, विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र सिंह को सुना गया।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसकी नियुक्ति 27.12.1985 को 'तृतीय श्रेणी' के कर्मचारी के रूप में हुई थी, और उसे 14.08.2012 का प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया तथा वह 31.03.2025 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक के रूप में हुई थी, जिसे वरिष्ठ सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया और वह 30.06.2021 को सेवानिवृत्त हुआ। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें अर्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

3. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय तृतीय प्रतिवादी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा द्वारा किया जाएगा।

4. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि याचिकाकर्ता 20.01.2026 तक तृतीय प्रतिवादी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, महोबा के समक्ष याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करे। तत्पश्चात, तृतीय प्रतिवादी तीन माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेंगे।

**4 फरवरी, 2026**

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति विकास)

बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"